P-1

R.M.M. Law College - Saharsa
Manrendra Mandal
Part time Lecturer

Sub- Hindu Marriage Act
Part-1

क्या दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना की याचिका में न्यायालय से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39, नियम 1 में अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की जा सकती है?

इस प्रश्न का उत्तर से संतुष्ट होने के लिए पार्वती देवी बनाम हरविन्द्र सिंह के मामले में यह मत व्यक्त किया गया कि विवाह सम्बन्धी मुकदमों में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का प्राविधान इस अधिनियम में कहीं नहीं किया गया है। जहाँ तक इस ~~मुकदमों में~~ अधिनियम में आवता दिवानी के लागू होने का प्रश्न है उसके अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय धारा 9 के अन्तर्गत पति द्वारा दायर की गयी याचिका में पत्नी द्वारा दूसरे विवाह करने की संभावना में आदेश 39 नियम 1 में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के लिए सक्षम नहीं है इस मुकदमा में पति का पत्नी के खिलाफ यह आरोप था कि उसका विवाह विधिवत उसके पत्नी के साथ हुआ था और रजिस्ट्रार के यहाँ भी इस विवाह का रजिस्ट्रेशन किया गया था फिर भी उसकी पत्नी अपने माता-पिता के प्रभाव में आकर अपने वैवाहिक दायित्वों को निभाने से इंकार करती थी। इसके विरुद्ध पत्नी का यह आरोप था कि ऐसा किसी प्रकार का विवाह उसका हरविन्द्र के साथ नहीं हुआ था और न ही वह उसकी विधिवत पत्नी है। इस याचिका के सुनवाई के दौरान पति द्वारा आवता दीवानी के आदेश 39, नियम एक ~~दो~~ 1(2) की धारा 151 के अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र इस आधार पर दिया गया कि उसकी पत्नी को याचिका की सुनवाई तक पुनः विवाह करने से रोका जाये। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए यह निर्देश पत्नी को दिया गया कि जब तक पति की धारा 9 के अन्तर्गत याचिका का निर्णय नहीं हो जाता वह पुनः विवाह न करे। विचारण न्यायालय के अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के विरुद्ध पत्नी ने अपील की। जिस पर उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा अपील स्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय धारा 9 में प्रस्तुत की गई याचिका में आवता दिवानी के आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के लिए सक्षम नहीं है।

Scanned with CamScanner